



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271498
CG-DL-E-02042026-271498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1623]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1623]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1688(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के रायगड जिले में ग्रीनफिल्ड हायवे के कि.मी. 0 से कि.मी.8.18 (बोकावीरा, मेट्रो सेन्टर नं १, उरण, रायगड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर -१, उरण को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रायगड जिले में ग्रीनफिल्ड हायवे के कि.मी. 0 से कि.मी.8.18 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: रायगड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: उरण					
गांव का नाम: पागोटे					
1	190/11 Part	सरकारी	अकृषी	0.0736 (हेक्टेयर)	0.0736
2	190/2 Part	सरकारी	अकृषी	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
3	River Part	सरकारी	नदी	1.1654 (हेक्टेयर)	1.1654
गांव का नाम: बोरी बु.					
4	18/2 Part	निजी	कृषी	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
5	18/3 Part	निजी	कृषी	0.0988 (हेक्टेयर)	0.0988
6	19 Part	निजी	कृषी	1.4288 (हेक्टेयर)	1.4288
7	Talav Part	सरकारी	तलाव	0.0137 (हेक्टेयर)	0.0137
गांव का नाम: चिरनेर					
8	153 Part	निजी	कृषी	0.2322 (हेक्टेयर)	0.2322
9	154 Part	निजी	कृषी	0.6257 (हेक्टेयर)	0.6257
10	156 Part	निजी	कृषी	0.0583 (हेक्टेयर)	0.0583
11	158 Part	निजी	कृषी	1.0542 (हेक्टेयर)	1.0542
12	164 Part	सामान्य	कृषी	0.1956 (हेक्टेयर)	0.1956
13	166 Part	निजी	कृषी	0.1683 (हेक्टेयर)	0.1683
14	36 Part	निजी	कृषी	0.0135 (हेक्टेयर)	0.0135
15	51 Part	निजी	कृषी	0.5283 (हेक्टेयर)	0.5283
16	52 Part	निजी	कृषी	0.1974 (हेक्टेयर)	0.1974
17	53 Part	निजी	कृषी	0.2071 (हेक्टेयर)	0.2071
18	54 Part	निजी	कृषी	0.7857 (हेक्टेयर)	0.7857

19	55 Part	निजी	कृषी	0.7756 (हेक्टेयर)	0.7756
20	62 Part	निजी	कृषी	0.6978 (हेक्टेयर)	0.6978
गांव का नाम: कळंबूसरे					
21	38/8 Part	सामान्य	कृषी	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
गांव का नाम: विधणे					
22	138 Part	निजी	कृषी	0.0105 (हेक्टेयर)	0.0105
23	River Part	सरकारी	नदी	1.2 (हेक्टेयर)	1.2
गांव का नाम: नवघर					
24	316/1 Part	सरकारी	अकृषी	0.3286 (हेक्टेयर)	0.3286
25	317/7 Part	सरकारी	अकृषी	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
26	322/3 Part	सरकारी	अकृषी	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
27	323/5 Part	सरकारी	अकृषी	0.0372 (हेक्टेयर)	0.0372
Total					10.3994

[फा. सं. NHAI/LA/GREENFIELD/NH/2022/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1688(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning/six-laning etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 0 to Km. 8.18 (Bokadvira, Metro Centre No. 1, Uran, Raigad) in the district of RAIGAD in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Dy. Collector Land Acquisition, Metro Centre No. 1, Uran, Raigad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 0 to Km. 8.18 (Bokadvira, Metro Centre No. 1, Uran, Raigad) in the district of RAIGAD in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: RAIGAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Uran					
Village: Pagote					
1	190/11 Part	Government	Non Agriculture	0.0736 (Hectare)	0.0736
2	190/2 Part	Government	Non Agriculture	0.018 (Hectare)	0.018
3	River Part	Government	River	1.1654 (Hectare)	1.1654
Village: Bori Bk.					
4	18/2 Part	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
5	18/3 Part	Private	Agriculture	0.0988 (Hectare)	0.0988
6	19 Part	Private	Agriculture	1.4288 (Hectare)	1.4288
7	Talav Part	Government	Talav	0.0137 (Hectare)	0.0137
Village: Chirner					
8	153 Part	Private	Agriculture	0.2322 (Hectare)	0.2322
9	154 Part	Private	Agriculture	0.6257 (Hectare)	0.6257
10	156 Part	Private	Agriculture	0.0583 (Hectare)	0.0583
11	158 Part	Private	Agriculture	1.0542 (Hectare)	1.0542
12	164 Part	Common	Agriculture	0.1956 (Hectare)	0.1956
13	166 Part	Private	Agriculture	0.1683 (Hectare)	0.1683
14	36 Part	Private	Agriculture	0.0135 (Hectare)	0.0135
15	51 Part	Private	Agriculture	0.5283 (Hectare)	0.5283
16	52 Part	Private	Agriculture	0.1974 (Hectare)	0.1974
17	53 Part	Private	Agriculture	0.2071 (Hectare)	0.2071
18	54 Part	Private	Agriculture	0.7857 (Hectare)	0.7857
19	55 Part	Private	Agriculture	0.7756 (Hectare)	0.7756
20	62 Part	Private	Agriculture	0.6978 (Hectare)	0.6978
Village: Kalambusare					
21	38/8 Part	Common	Agriculture	0.0031 (Hectare)	0.0031
Village: Vindhane					
22	138 Part	Private	Agriculture	0.0105 (Hectare)	0.0105
23	River Part	Government	River	1.2 (Hectare)	1.2
Village: Navghar					
24	316/1 Part	Government	Non Agriculture	0.3286 (Hectare)	0.3286
25	317/7 Part	Government	Non Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4

26	322/3 Part	Government	Non Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
27	323/5 Part	Government	Non Agriculture	0.0372 (Hectare)	0.0372
Total					10.3994

[F. No. NHAI/LA/GREENFIELD/NH/2022/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director